भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1098

सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक)

रोजगार की स्थिति

1098. श्री राम शिरोमणि वर्मा:

श्री रमाशंकर राजभर:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान देश में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में बेरोजगारी को दूर करने और श्रम कौशल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियाँ जाने के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ड.): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण की अवधि हर साल जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2019-20 में 4.8% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध हैं जिन्हें एमओएसपीआई की वेबसाइटhttps://www.mospi.gov.in/downloadreports?main_cat=ODU5&cat=All&sub_category=All पर देखा जा सकता है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), स्टैंडअप इंडिया,

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई), मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि के माध्यम से रोजगार का विस्तार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करते हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों/स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुन: कौशल और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) का कार्यान्वयन कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल में प्रवीणता दिला कर भविष्य के लिए तैयार करना है।

इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए 5 योजनाओं और पहल संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की है।

****